आवश्यक सूचना

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

पत्रांक : सवप/2025/बी0उ0/991
दिनाँक : 13/02/2025

खाद्यान्न नीलामी हेतु मोहरबन्द निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के बीज विधायन केन्द्र पर निम्न खाद्यान्न सामग्री की मोहरबन्द निविदा के आधार पर नीलामी होनी है जिसका विवरण निम्न है–

क्र.सं.	कृषि उत्पाद का विवरण	अनुमानित मात्रा (कु0 में)
1.	धान छानस	315.00
2.	धान मिक्सचर	66.600
3.	गेहूँ छानस	286.50
4.	गेहूँ मिक्सचर (उपचारित)	57.60
5.	सरसों छानस काली	8.75
6.	सरसों छानस पीली	5.60
7.	बरसीम छानस	0.23
	योग	**740.34**
8.	कटे फटे अनउपयुक्त गनी बैग	10 कुन्तल

उक्त खाद्यान्नों की मोहरबन्द निविदा प्रारम्भ होने की तिथि दिनाँक **14/02/2025** तथा निविदा बन्द होने की अंतिम तिथि दिनाँक **20/02/2025** अपरान्ह 02:30 बजे तक एवं **निविदा खोलने की तिथि दिनाँक 20/02/2025 को अपरान्ह 3:00 बजे** बीज विधायन केन्द्र कार्यालय, पुराना परिसर सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ पर खोली जायेगी।

नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार से हैं:–

नीलामी मुहरबंद निविदा के आधार पर की जायेगी। क्रय के इच्छुक व्यक्ति/फर्म निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरेंगे। निविदा में तकनीकी एवं वित्तीय बिड् अलग–अलग होगी, पहले तकनीकी बिड खोली जायेगी, जिसमे सफल हुए निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

1. नीलामी हेतु जमानत धनराशि रू0 25,000/– राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जोकि वित्त नियंत्रक, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के पक्ष में देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य कुल रू0 590/– (निविदा प्रपत्र रू0 500 + रू0 90 जी0एस0टी0) निर्धारित है, जो निर्धारित शुल्क जमा कर बीज विधायन कार्यालय से दिनाँक 14/02/2025 से दिनाँक 20/02/2025 तक प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदाएँ बीज विधायन केन्द्र के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में दिनाँक 20/02/2025 की सॉय 2:30 बजे तक जमा की जा सकती हैं। समिति द्वारा निविदाओं को दिनाँक 20/02/2025 को अपराह्न 3:00 बजे खोला जायेगा।
3. निविदाता द्वारा तकनीकी बिड एक लिफाफे में, जिस पर निविदा सूचना संख्या एवं दिनाँक तथा तकनीकी बिड मोटे अक्षरों में अंकित किया जायेगा, में मुहरबंद की जायेगी तथा वित्तीय बिड एक अलग लिफाफे, जिस पर निविदा सूचना संख्या एवं दिनाँक तथा वित्तीय बिड मोटे अक्षरों में अंकित किया जायेगा एवं मुहरबंद की जायेगी। साथ ही उक्त दोनो लिफाफे एक अलग लिफाफे जिस पर निविदा सूचना संख्या व दिनाँक अंकित किया जायेगा एवं मुहरबंद किया जायेगा। उक्त समस्त लिफाफों पर निविदादाता द्वारा फर्म का नाम व पता स्पष्ट रूप में अंकित किया जायेगा। उक्त मोहरबंद लिफाफा बीज विधायन केन्द्र कार्यालय मे जमा किया जायेगा। जिन निविदादाताओं की तकनीकी बिड अर्ह पायी जायेगी उन्हीं निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी एवं जिन निविदादाताओं की तकनीकी बिड अर्ह नहीं पायी जायेगी उनकी वित्तीय बिड को किसी भी दशा में खोला नहीं जायेगा।
4. खाद्यान्नों की मात्रा व गुणवत्ता का अवलोकन दिनाँक 14/02/2025 से 20/02/2025 के पूर्वान्ह तक किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।
5. **निविदादाता को खाद्यान्न क्रय विक्रय करने के लिए जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमात्र–पत्र/मण्डी समिति का लाइसेन्स, आयकर रिटर्न (विगत वर्ष का) एवं पैनकार्ड की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।**
6. **नीलामी में उच्चतम दर प्रस्तुत करने वाली फर्म को आवंटित कृषि उत्पादों की सम्पूर्ण धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त नीलामी वाले दिन (दिनाँक 20/02/2025) को ही विश्वविद्यालय में जमा करानी होगी, ऐसा न करने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं द्वितीय उच्च दरों वाली फर्म पर विचार किया जायेगा।**
7. मा0 कुलपति, स.व.प.कृषि एवं प्रौद्यो. विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा अनुमोदन के उपरान्त ही उच्चतम दरें मान्य होंगी।
8. खाद्यान्न की मात्रा जहाँ है, जैसा है की स्थिति में सम्पूर्ण धनराशि स्वीकृति के बाद एक सप्ताह के अन्दर विश्वविद्यालय में जमा कर अपने बारदाने में उठाना होगा। **निर्धारित अवधि के अन्दर मात्रा को न उठाने पर रू0 10 प्रति कुन्तल की दर प्रतिदिन का भण्डारण शुल्क अलग से देय होगा। बीस दिन के अन्दर न उठाने पर जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।**
9. निविदा की कार्यवाही को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने या सम्पूर्ण कार्यवाही को बिना कारण बताये निरस्त करने का सर्वाधिकार मा0 कुलपति, स.व.प. कृषि एवं प्रौद्यो. विश्वविद्यालय, मेरठ को होगा।

10. फर्म एवं विश्वविद्यालय के मध्य विवाद की यदि कोई स्थिति होती है तो उसका निरतारण जनपद मेरठ न्यायालय द्वारा किया जायेगा।
11. जी0एस0टी0/सी0जी0एस0टी0 या अन्य किसी प्रकार के स्थानीय टैक्स का उत्तरदायी क्रेता का होगा।
12. बीज नीलामी हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति को सम्पूर्ण प्रपत्रों की मूल प्रति निविदा खुलने के समय उपलब्ध कराना होगा।
13. सशर्त दरें स्वीकार नहीं की जायेंगी।
14. **उपचारित बीज का क्रय करने ठेकेदार/बोलीदाता अपना उपचारित बीज का लाइसेंस व अफेडेबिट की छायाप्रति भी संलग्न करेंगे।**
15. **वित्तीय बिड को निविदा प्रपत्र के साथ दिये गये लिफाफे में सील बंद कर अन्य प्रपत्रों के साथ एक बड़े लिफाफे में रखकर सील करें तथा मुख्य लिफाफे के ऊपर निम्न सूचना अंकित करें।**

    अ. खाद्यान्न नीलामी हेतु मोहरबन्द निविदा प्रपत्र

    ब. निविदा सं0

    स. बोलीदाता/फर्म का नाम व पता

सदस्य सचिव
नीलामी समिति

प्रतिलिपिः
1. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. निदेशक शोध।
3. वित्त नियंत्रक।
4. प्रभारी अधिकारी/प्रभारी, बीज विधायन संयंत्र को आवश्यक सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सूचना पट।
6. सुरक्षा अधिकारी को नीलामी के दौरान सुरक्षा हेतु।
7. कृषि उत्पादन मण्डी समिति मेरठ, सरधना, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।
8. प्रभारी भंडार को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
9. प्रभारी आई.टी. सेल।